भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 469

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

आंध्र प्रदेश में पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी

469. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)-हर खेत को पानी योजना के जल निकायों की मरम्मत, नवीवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) उप-घटक के अंतर्गत चयनित जल निकायों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में आरआरआर घटक के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु चयनित जल निकायों की संख्या कितनी है तथा इस प्रयोजन हेतु राज्य को कुल कितनी धनरासि स्वीकृत एवं वितरित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि आंध्र प्रदेश में चयनित किसी भी जल निकाय की अब तक मरम्मत या पुनरुद्धार नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि हेतु आंध्र प्रदेश से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी के उप-घटक, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) के अंतर्गत, चयनित जल निकायों की संख्या का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है,

(ख): विवरण निम्नवत है;

योजना नाम	शामिल किए जाने का वर्ष	अनुमानित लागत (करोड़ रू.)	पात्र केंद्रीय हिस्सा (केंद्रीय सहायता) (करोड़ रू.)	जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रू.)
100 आरआरआर	2018-19	66.77	40.06	2.70
135 आरआरआर	2021-22	70.72	42.42	0.00

(ग) और (घ): वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी के तहत केंद्रीय सहायता के लिए शामिल, मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार कार्य हेतु 100 जल निकायों में से 36 जल निकायों का पुनरूद्धार कार्य पूरा किया जा चुका है। चूंकि, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और उनका पुनरूद्धार कार्य करना राज्यों के स्वयं के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए संबंधित राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वह अपनी प्राथमिकता और उपलब्ध निधियों के आधार पर जल निकायों के पुनरूद्धार और कार्यान्वयन की योजना तैयार करें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी) के मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) घटक के अंतर्गत भारत सरकार की भूमिका केवल तकनीकी सहायता और संबंधित राज्य सरकार की मांग पर उनके ऐसे प्रयासों में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित होती है।

*****

अनुलग्नक-I

'आंध्र प्रदेश में पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी' के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 469 भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं.	राज्य	शामिल किए गए जल निकायों की संख्या	शामिल किए जाने का वर्ष	अनुमानित लागत (करोड़ रू.)
1	आंध्र प्रदेश	100	2018-19	66.77
		135	2021-22	70.72
2	बिहार	27	2018-19	64.93
		66	2019-20	96.97
3	गुजरात	61	2018-19	102.91
4	नागालैंड	17	2023-24	35.63
5	ओडिशा	103	2017-18	87.51
		574	2022-23	539.49
6	राजस्थान	36	2017-18	95.46
		37	2021-22	124.71
		84	2023-24	142.92
7	तमिलनाडु	49	2018-19	23.43
		89	2019-20	46.81
		9	2020-21	4.17
		115	2021-22	71.89
		85	2022-23	80.83
		100	2022-23	83.77
8	तेलंगाना	176	2017-18	120.49
		147	2017-18	162.71
		70	2017-18	50.53
कुल योग		2080		2072.63

*****